

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)  
प्रकरण संख्या 74/2025

उनवान

1. ओमप्रकाश खोईवाल पुत्र नाथू लाल खटीक जाति खटीक नि० खटीक मोहल्ला चुंगीनाका पुर तह० व जिला भीलवाड़ा (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. देवी लाल पुत्र हजारी जाति सुथार नि० गाडरमाला तह० व जिला भीलवाड़ा(राज०)
2. बरदूदास पुत्र मथरा दास जाति बैरागी नि० भोपालगढ भीलवाड़ा हाल नि० थला का खेडा दुडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
3. श्याम लाल पुत्र रामचन्द्र जाति नाई नि० दुडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
4. लाडू पत्नी रामचन्द्र जाति नाई नि० दुडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
5. नानी पुत्री रामचन्द्र जाति नाई नि० दुडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)
6. सुगना पुत्री राचन्द्र जाति नाई नि० दुडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज०)(डिलीट)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**  
**निर्णय दिनांक 15-07-2025**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम थला का खेडा पटवार हल्का दुडिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 229 रकबा 0.4932 हैक्टयर, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.04.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 05 विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 06 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 06 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 06 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम थला का खेडा पटवार हल्का दुडिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 31 की आराजी नम्बर 229 रकबा 0.4932 हैक्टयर, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें। आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)